



## भारत: ILO के शाषी नकिय क अड्यकष

### प्रलिमिस के लयि

अंतरराष्ट्रीय शर्म संगठन, ILO शाषी नकिय, ILO के प्रमुख अभसिमय

### मेन्स के लयि

भारत और अंतरराष्ट्रीय शर्म संगठन

## चर्चा में क्यों?

भारत और अंतरराष्ट्रीय शर्म संगठन (International Labour Organization-ILO) के बीच 100 वर्षों के उपयोगी संबंधों के एक नए अध्याय को चहिनति करते हुए भारत ने 35 वर्षों बाद [अंतरराष्ट्रीय शर्म संगठन](#) के शाषी नकिय की अड्यकषता ग्रहण की है।

## प्रमुख बडि

- शर्म और रोजगार सचवि **अपूर्वा चंद्रा** को **अक्टूबर 2020 से जून 2021** तक की अवधि के लयि ILO के शाषी नकिय क अड्यकष चुना गया है।
- ILO के शाषी नकिय के अड्यकष क पद **अंतरराष्ट्रीय स्तर के महत्त्व क पद** है। शाषी नकिय (Governing Body- GB) **ILO का शीर्ष कार्यकारी नकिय** है।
  - शाषी नकिय की बैठकें वर्ष में तीन बार मार्च, जून और नवंबर में आयोजति की जाती हैं। यह ILO नीतिपर नरिणय लेता है, अंतरराष्ट्रीय शर्म सम्मेलन के लयि एजेंडा नरिधारति करता है, सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत करने के लयि कार्यक्रम प्रारूप तथा बजट को स्वीकार करता है तथा महानदिशक (Director-General) का चुनाव करता है।
  - ILO की व्यापक नीतयि **अंतरराष्ट्रीय शर्म सम्मेलन** के माध्यम से नरिधारति की जाती हैं जसिका आयोजन प्रत्येक वर्ष एक बार जून में स्विट्ज़रलैंड के जनिवा में कयि जाता है। इसे प्रायः **अंतरराष्ट्रीय शर्म संसद** के रूप में संदर्भति कयि जाता है।
- अपूर्वा चंद्रा शाषी नकिय की आगामी बैठक की अड्यकषता करेंगे जसिका आयोजन नवंबर 2020 में कयि जाएगा।
  - यह संगठति अथवा असंगठति कषेत्र के सभी शर्मकों को सामाजकि सुरक्षा के सार्वभौमकिरण के संबंध में धारणा स्पष्ट करने के अलावा शर्म बाजार की कठोरता को दूर करने के लयि सरकार द्वारा की गई परिवर्तनकारी पहलों से प्रतभिगयिों को अवगत कराने हेतु एक मंच प्रदान करेगा।
  - मजदूरी, औद्योगकि संबंध, सामाजकि एवं व्यावसायकि सुरक्षा, स्वास्थय एवं कार्य स्थिति से संबंधति चार संहतिओं से यह अपेक्षा की जा सकती है कवि शर्मकों के हतियों की रक्षा कर सकती है तथा व्यवसाय संचालन को सरल बनाकर उसमें सुधार कर सकती है।
    - हाल ही में भारतीय संसद ने औद्योगकि संबंधों, व्यावसायकि सुरक्षा, स्वास्थय एवं कार्य स्थिति और सामाजकि सुरक्षा पर **तीन शर्म संहति** पारति की हैं जो देश के पुरातन शर्म कानूनों को सरल बनाने और शर्मकों के लाभों से समझौता कयि बना आर्थकि गतविधियिों को गति देने के लयि प्रस्तावति हैं।

## अंतरराष्ट्रीय शर्म संगठन (ILO)

- यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रपिकषीय संस्था है जसिकी स्थापना वर्ष 1919 में वर्साय की संधिद्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में की गई थी।
- यह शर्म मानक नरिधारति करने, नीतयिों वकिसति करने एवं सभी महलिओं तथा पुरुषों के लयि सभ्य कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करने हेतु 187 सदस्य देशों की सरकारों, नयिोकताओं और शर्मकों को एक साथ लाता है।
- वर्ष 1946 में ILO, संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध पहली वशिषिट एजेंसी बना।
- ILO में कार्रवाई का मुख्य साधन अभसिमयों एवं समझौतों के रूप में अंतरराष्ट्रीय शर्म मानकों की स्थापना करना है।
  - अभसिमय अंतरराष्ट्रीय संधयिों और ऐसे उपकरण हैं, जो उन देशों के लयि कानूनी रूप से बाध्यकारी दायतियों का नरिमाण करते हैं जनिके द्वारा इनकी पुष्टि की जाती है।

- इसकी अनुशंसाएँ गैर-बाध्यकारी हैं और राष्ट्रीय नीतियों तथा कार्यों को उन्मुख करने वाले दशा-नरिदेशों का नरिधारण करती हैं ।
- वर्ष 1969 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया ।
- यह वार्षिक [वशिव रोजगार और सामाजिक दृषटकिण](#) (World Employment and Social Outlook- WESO) रुझान रपौरट जारी करता है ।

## भारत और ILO:

- भारत, ILO का संस्थापक सदस्य है और यह वर्ष 1922 से ILO के शाषी नकिय का स्थायी सदस्य रहा है । भारत में ILO का पहला कार्यालय वर्ष 1928 में शुरू हुआ था ।
- भारत ने ILO के 41 अभसिमयों की पुषटकी है, जो कई अन्य देशों में मौजूद स्थतिकी तुलना में कहीं अधिक बेहतर है ।
- भारत ने आठ प्रमुख/मौलिक ILO अभसिमयों में से 6 की पुषटकी है । ये अभसिमय नमिनलखिति हैं:
  - बलात् श्रम पर अभसिमय (संख्या 29)
  - बलात् श्रम के उनमूलन पर अभसिमय (संख्या 105)
  - समान पारश्रमकि पर अभसिमय (संख्या 100)
  - भेदभाव (रोजगार और व्यवसाय) पर अभसिमय (संख्या 111)
  - न्यूनतम आयु पर अभसिमय (संख्या 138)
  - बाल श्रम के सबसे वकित् स्वरूप पर अभसिमय (संख्या 182)
- भारत ने दो प्रमुख/मौलिक अभसिमयों, अर्थात् संघ बनाने की स्वतंत्रता एवं संगठति होने के अधिकार की सुरक्षा पर अभसिमय, 1948 (संख्या 87) और संगठति एवं सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार पर अभसिमय, 1949 (संख्या 98) की पुषटकि नहीं की है ।
  - ILO की कन्वेंशन संख्या 87 एवं 98 की पुषटकि नहीं करने का मुख्य कारण सरकारी करमचारियों पर लगाए गए कुछ प्रतबिध हैं ।
- ILO ने कोवडि-19 के प्रकोप के कारण धीमी पड़ चुकी आर्थिक गतविधियों को बढ़ावा देने के लयि कई भारतीय राज्यों द्वारा श्रम कानूनों में कयि गए परविरतनों पर गहरी चति व्यक्त की है ।

**स्रोत: पी.आई.बी.**